30.9.16.

पत्रावली जनरल तारीख से पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। योग्य अभिभाषकगणो की सुनी हुई बहस एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार की किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से संलग्न है। पत्रावली कैंसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर हमेशा मूल दावा की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] सिटी

Scanned by CamScanner

क्रमांक:- मुव्न० 4/16 ता० 8/11/16

उनवान

3

वानसिंह पि० सांवेर वर्गे० जाति जाट निवासी बाईजद्द	v/s	रामेश्वर पिसरान परमोली वर्गे० जाति जांट, निवासी बाईजद्द, तह० हिण्डौन
-सायलान-		-गैरसायलान-

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री B.S.जैन एडवोकेट - सायलान
श्री S.L.चौधरी एडवोकेट - गैरसायलान

निर्णय दि० 30.9.2016

प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि सायलान ने गैरसायलान के विरुद्ध उक्त उनवानी वाद बाबत बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया हुआ है। रक्बा नं० 578 रकबा 0.13 है० चाही-1 ग्राम बाईजद्द, तहसील-हिण्डौन की आराजीयात के सायलान एवं गैरसायल नं० 7 व 8 खातेदार काश्तकार है। सायलान ने उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर घूड़ा, ईधन, वरीता कूबिहर औजार, रखने, जानवर बांधने हेतु कच्चे-पक्के निर्माण कर उपयोग कर रहे है।

विवादित भूमि आबादी के नजदीक होने के कारण बाजार मूल्य काफी बढ गया है। जिससे गै०सा० नं० 1 ता० 6 के मध्य भूमि को हडपने की बदनियति उत्पन्न हो गई। भूमि के पूर्वी-दक्षिणी कोने में पानी का टैंकर खडा कर दिया। सायलान ने मुतकाबिया में टैंकर खडा करने के लिए मना कर दिया। गै०सा नं० 2 व 5 एवं सायल नं० 11 के मध्य गाली गलोच हो गई, मारपीट पर आमादा हो गये। विवाद की शिकायत, तहसील, थाना एवं न्यायालय हाजा के कार्यालय में की गई। प्रभावी कार्यवाही नहीं होना बताया है। गैरसायल नं० 1 ता० 6 ने विवादित भूमि के दक्षिणी-पूर्वी सिरे पर 28×52" फिट भूमि पर अवैध कब्जा के उद्देश्य से खण्डा डाल दिये। उक्त सामान हटाने से इन्कार करते हुए सायलान को एलानिया धमकी पक्का निर्माण करने की दी।

उप अधिकारी

गै०सा०नं० 1 ता 6 ने सायलान की भूमि मुतदाविया पर पुख्ता निर्माण कर लिया या भूमि नाकाबिल कास्त बना दिया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बरिनकाफ गै० सा० नं० 1 ता. 6 दायर करना आवश्यक हुआ। 5

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाकर जाकर गै०सा० नं० 1 लगा. 6 द्वारा सायलान की भूमि पर डाले गये खेरवण्डे व ईंकर को जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा हटवाया जाकर गैरसायलान को दौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावन फरमाया जावें। कि सायलान की भूमि रक० नं० 578 मुतजिक्रा मद नं 2 प्राण्पत्र पर किसी भी प्रकार का कोई स्थायी व अस्थाई निर्माण कार्य ना तो स्वंय करे, नाही किसी अन्य से करावें। मौके की स्थिति यथावत कायम रखवें।

प्राण्पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल की एकतरफा बहस सुनने पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए वजहआहिर करने गैरसायलान को तलब किया गया। गैरसायलान नं० 1 ता 6 की ओर जवाब प्राण्पत्र के साथ वकील वास्ते पैरवी उप० हुआ। बा गै०सा० नं० न व 8 के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

गै०सा० नं० 1 ता 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्राण्पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में निम्न प्रकार तहरीर किया। प्रा० पत्र के मद नं० 1 दावा पेश करना स्वीकार है। मद नं० 2 के जवाब में प्राण्पत्र सीका नही है। रक० नं० 578 रकबा 0.13 है० मे वर्तमान मे आवादी हो रही है। रवसरा नं० में सोहन वाई बेवा रामचरण राममोहन पुत्र मंजू, परभाती पुत्र मंजू, सूसे पुत्र मंगल जाति कोली, रामकुमार, रामसहाय पुत्र पिल्ल् जाति प्रजापति मोसमेई बेवा मांगी रिहायश कर रह रहे है। रवसरा नं० मे आवादी 50 वर्षो पूर्व से हो रही है। इस प्रकार खातेदारी का नाजायज फायदा लेने के उद्देश्य से झूठा प्राण्पत्र पेश किया है। विवादित आराजियात मे घनी आवादी है। जिसमें सायलान के बुजुर्गो ने 50 वर्ष पूर्व मौके पर प्लाटिंग करके कोली व कुम्हारों को प्लाट बनाकर बेच दिये। रवसरा नं० के उत्तर दिशा में पक्की सीमेन्ट सडक ग्राम पंचायत द्वारा करीब 20 वर्ष पूर्व बनवाई गई है। देवीलाल पुत्र चौथी ने अपनी रिहायशी वाकल दि 29.6.15 को गै. सा. नं. 2 को बेचान कर दी, जिसकी लिखा पढी रु 100/- के स्टाम्प पर की गई।

Scanned by CamScanner

आराजी रक्बा नं० 578 रकबा 1.02 पर ग्राम पंचायत बाईजद्दे के गांव वार्ड नं० 10 में स्थित 50 वर्षों से कोली मोहल्ला बसा हुआ है। पक्की अपनी अपनी रिहायशी बनाकर आबाद कर रखी है। देवीलाल पुत्र चौथी कोली ने अपनी रिहायशी पक्की, पायेंर पोश गै० सा० नं० 2 को दिनांक 29.6.15 को बेचान कर दिया है। सायलान का मौके पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। पूर्व में ही प्लाट काटकर बेचान कर चुके हैं। मामला आबादी क्षेत्र का होने के कारण उक्त प्रकरण की सुनवाई सिविल न्यायालय को है। लेकिन सायलान अदालत को धोखे में रखते हुए मौके के विपरीत अपने नाम का नाजायज बेई मानी पूर्वक लाभ लेने के उद्देश्य से झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज किये जाने योग्य है।

दिनांक 01.04.2016 को सायलान ने जरिये वकील ने प्रार्थना पत्र ~~अस्थाई~~ आदेश-8 नियम-9 जा.दी. पेश कर जवाब द्वा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के मद नं० 2, 3, 4, 5, 6 एवं उज्ञात मजीद के मद नं० 9 व 10 में कुछ नये व असंगत तथ्य दर्ज किये का जवाबुल जवाब के माध्यम से जवाब पेश किया। नकल वकील ~~प्रतिवादी~~ गैर सायलान को दिलायी गई। ~~व~~ एवं द० आदेश-22 नियम-3 सायला नं० 18 भगवती पत्नि जौहरी, जाट निवासी बाईजद्दे, तह० हिण्डौन के फोत होने पर पेश हुई। दिनांक 11.4.2016 को द० हस्तगी को स्वीकार किया गया।

सायलान ने द्वा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ दस्तावेजी सबूत नकल जमाबंदी सम्वत 2068-71 ग्राम बाईजद्दे रवाता संख्या 59 रकबा नं० 578 के साथ कुल किता-22 कुल रकबा 5.03 है० धानसिंह, कुंवर सिंह, दिनेश, दिलीप, पि० सांवरे, मुन्नी वेवा सांवरे हि. 1/8 राहिन बड़ौदा राज. ग्रामीण बैंक शाखा सूरोठ मुतहीन किशन पुत्र गंगाधर हि. 1/8, विक्रम रतन, गुरुगल्ली पि० अमोल 1/12 देवी सिंह, गजेन्द्र सिंह पि० रामभरोसी, भोका वेवा रामभरोसी हिस्सा बराबर 1/8 राहिन, भल्ल पुत्र अमोल हिस्सा 1/12 राहिन, श्यामलाल राधेश्याम, नारायण पि. मिश्री हि. 3/8 जाति जाट राहिन, हीरालाल राम बाबू पि० जौहरी, भगवती वेवा जौहरी श्रीबाई, ब्रह्मा, शिवदेई पुत्री जौहरी हि. व हि. 1/12 जाति जाट सा० देह खातेदारी दर्ज है।

गैरसायलान ने जरिये वकील नकल द्वा० पत्र दि० 26.12.15 बाबत अतिक्रमण हटाने बाबत, फर्द मौका दि० 28.12.15 की नकल, नक्शा इस्त, गिरदावरी, धारा 177 RTA द्वा० पत्र, देवीलाल पुत्र चौथी कोली द्वारा विरुद्ध पत्र शपथ पत्र की छायाप्रति, ~~की~~ दस्तावेजी पेश किये गये। मौके पर पजेशन बाबत ग्रामीणों के शपथ पत्र पेश किये हैं।

खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक गणों की बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रा०पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अदालत को तहरीर किया कि सायलान ने दावा हाजा बावत बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। दावा को बनाये रखने के लिए यह प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर स्वीकारना नितान्त आवश्यक है। ~~मौके पर अविवादित आराजीयात के भूभाग पर पजेशन नहीं है।~~ सायलान रिकार्डेड रयातेदार काश्तकार है। देवीलाल के पास भूमि कैसे प्राप्त हुई। बिजली के बिल कब्जा बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। जमाबन्दी में आबादी का नोट अंकन नहीं है। वकील गैर सायलान ने अपने लिखित बचनों के बताया कि विवादित आराजीयात मे मौके पर आबादी बनी हुई है। रक०नं० 578 मे घनी आबादी हो रही है। ~~साइमोकेती~~ मौके पर कब्जा नहीं है। न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है। सायलान के रयातेदारी नाम है। पूर्वजों ने 50 वर्ष पूर्व प्लाटिंग कर बेचान कर दिया। जबाब प्रा०पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस की गई।

उभय विद्वान अभिभाषक गणों की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन पर मनन करने के पश्चात अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँचती है। दावा वादीगण बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा के पेश हुआ। जिस पर सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पेश किया जो आवश्यक था। प्रार्थना पत्र ~~प्राईमाफेसी~~ एवं सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे पाया जाता है। सायलान रिकार्डेड रयातेदार है। जिसे किसी भी अपूर्तनीय क्षति से बचाना नितान्त जरूरी है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। गैर सायलान को पावन्द किया जाता है कि मूलदावा के निर्णय होने तक ग्राम बाईजट्ट रक०नं० 578 रकबा 0.13 है० में मौके एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। किसी प्रकार का कोई स्थायी व अस्थायी निर्माण कार्य ना तो स्वंय करे, और नाही दीवार व्यक्ति से करावें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर हमपिता दावा की जावें।

निर्णय दिनांक 30.09.2016 को खुले अदालत सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन-करौली

Scanned by CamScanner